



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1460]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 25, 2013/आषाढ़ 4, 1935

No. 1460]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 25, 2013/ ASHADHA 4, 1935

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2013

का.आ.1843(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक उपकरणों के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन नियम, 1952 के नियम 10 के उपनियम (2) के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन उद्योग और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.163 (अ)आरएलआईयू/10(2)/ 76 तारीख 3 मार्च, 1976, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 4 मार्च, 1976 में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, “अनुज्ञापन समिति” शीर्ष और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“अनुज्ञापन समिति

- (1) सचिव, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती - अध्यक्ष
- (2) संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से अन्यून - सदस्य स्तर का हो
- (3) सचिव, गृह मंत्रालय या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो - सदस्य
- (4) विदेशी व्यापार महानिदेशक या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर का हो - सदस्य
- (5) विकास आयुक्त (लघु उद्योग) या उसका नामनिर्देशिती, जो संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर - सदस्य का हो

(6) संबद्ध राज्य सरकार के उद्योग सचिव या उसका नामनिर्देशिती - सदस्य

(7) संयुक्त सचिव औद्योगिक अनुमोदन के लिए सचिवालय का भारसाधक | -सदस्य सचिव”

[फा. सं. 7(1) / 2012-आई.पी.]

शुभ्रा सिंह, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र 1976 (असाधारण) भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) के पृष्ठ 501 से 511 पर अधिसूचना संख्यांक का.आ. 163(अ) आरएलआईयू/10(2)/76 तारीख 3 मार्च, 1976 को प्रकाशित किया गया गया उसमें निम्नलिखित द्वारा पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

- (1) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 765 (अ) तारीख 29-11-1979;
- (2) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 25 (अ) तारीख 13-1-1981;
- (3) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 656 (अ) तारीख 18-8-1981;
- (4) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 38(अ) तारीख 22-1-1983;
- (5) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 159 (अ) तारीख 4-3-1983;
- (6) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 854 (अ) तारीख 24-11-1983;
- (7) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 893 (अ) तारीख 8-10-1987;
- (8) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 365 (अ) तारीख 4-5-1990;
- (9) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 574 (अ) तारीख 19-7-1990;
- (10) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 699 (अ) तारीख 15-10-1991;
- (11) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 714 (अ) तारीख 22-10-1991;
- (12) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 84 (अ) तारीख 29-1-1992;
- (13) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 706 (अ) तारीख 4-8-1995;
- (14) अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3025 (अ) तारीख 28-12-2012 |

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2013

S.O. 1843(E).—In exercise of powers conferred by Section 14 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with sub-rule (2) of rule 10 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, the Ministry of Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the former Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 163(E) RLIU/10(2)/76 dated 3rd March, 1976, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 4th March, 1976, namely :—

In the said notification, for the heading “LICENSING COMMITTEE” and the entries thereunder, the following shall be substituted, namely :—

“LICENSING COMMITTEE

1. Secretary, Department of Industrial Policy and Promotion, Ministry of Industry or his nominee	—Chairperson
2. Secretary of the concerned Administrative Ministry or his nominee, not below the rank of Joint Secretary	—Member
3. Secretary, Ministry of Home Affairs or his nominee, not below the rank of Joint Secretary	—Member
4. Director General of Foreign Trade or his nominee, not below the rank of Joint Secretary	—Member
5. Development Commissioner (Small Scale Industries), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises or his nominee, not below the rank of Joint Secretary	—Member
6. Industries Secretary or Commissioner Industries of the concerned State Government	—Member
7. Joint Secretary, Secretariat for Industrial Assistance(SIA), Department of Industrial Policy & Promotion	—Member-Secretary”

[File No. 7(1)/2012-I.P.]

SHUBHRA SINGH, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal notification published vide notification S.O. 163(E)/RLIU 10(2)/76 dated 3-3-1976. Gazette of India 1976 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (ii) pages 501 to 511 was subsequently amended by :—

- (1) Notification No. S.O. 765(E) dated 29-11-1979;
- (2) Notification No. S.O. 25(E) dated 13-1-1981;
- (3) Notification No. S.O. 656(E) dated 18-8-1981;
- (4) Notification No. S.O. 38(E) dated 22-1-1983;
- (5) Notification No. S.O. 159(E) dated 4-3-1983;
- (6) Notification No. S.O. 854(E) dated 24-11-1983;
- (7) Notification No. S.O. 893(E) dated 8-10-1987;
- (8) Notification No. S.O. 365(E) dated 4-5-1990;
- (9) Notification No. S.O. 574(E) dated 19-7-1990;
- (10) Notification No. S.O. 699(E) dated 15-10-1991;
- (11) Notification No. S.O. 714(E) dated 22-10-1991;
- (12) Notification No. S.O. 84(E) dated 29-01-1992;
- (13) Notification No. S.O. 706(E) dated 4-8-1995;
- (14) Notification No. S.O. 3025(E) dated 28-12-2012